

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद

मु.क.मी.क./राहत/बाढ़ आपदा/2019/ प्रति.

5340

/होशंगाबाद, दिनांक

26/6/19

कलेक्टर महोदय
होशंगाबाद

विषय : बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु पूर्व तैयारी से संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।
संदर्भ : आपका पत्र क./7293/राहत/बाढ़ आपदा/2019/भोपाल दिनांक 19.06.2019

---00---

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि बाढ़ प्रबंधन हेतु विभाग से संबंधित विन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर बाढ़ पूर्व तैयारियों की चेक लिस्ट आपकी ओर प्रस्तुत है।

1	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसामान्य को बाढ़ जनित रोगों से बचाव हेतु सूचना प्रदान करने की व्यवस्था।	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता/आशाकार्यकर्ता के माध्यम से बाढ़ क्षेत्रों में जनित रोगों से बचाव हेतु सूचना प्रदान करने की व्यवस्था की जावेगी।
2	प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु संसाधनों का आंकलन एवं कार्ययोजना।	प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु संसाधनों का आंकलन एवं कार्ययोजना बनाने के निर्देश समस्त संस्थाओं में दिये जा चुके हैं।
3	आवश्यक दवाइयों तथा अन्य चिकित्सकीय सामग्री को सूचीबद्ध कर स्टॉक में उपलब्ध कराने की तैयारी।	आवश्यक दवाइयों तथा अन्य चिकित्सकीय सामग्री को सूचीबद्ध कर स्टॉक में उपलब्ध कराने की तैयारी की जा चुकी है।
4	चिकित्सकीय, पैरामेडिकल स्टाफ, वाहनों ड्राइवरों तथा चिकित्सा से जुड़े मानव संसाधनों की सूचियां।	चिकित्सकीय, पैरामेडिकल स्टाफ, वाहनों ड्राइवरों तथा चिकित्सा से जुड़े मानव संसाधनों की सूचियां जिले के समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं।
5	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हेतु मेडिकल टीमों का गठन।	जिले समस्त विकासखंडों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हेतु मेडिकल टीमों का गठन किया जा चुका है।
6	मेडिकल टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था।	मेडिकल टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देने देने के निर्देश दिये जा चुके हैं।
7	सामुदायिक/प्राथमिक/उप स्वास्थ्य केंद्रों से संबंधित समस्त स्टाफ को बाढ़ की स्थिति मुख्यालय पर रहने हेतु निर्देश।	सामुदायिक स्वा.केंद्र एवं प्राथमिक स्वा.केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों से संबंधित समस्त स्टाफ को बाढ़ की स्थिति मुख्यालय पर रहने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।
8	समस्त मेडिकल स्टाफ के सम्पर्क नम्बरों की सूची।	समस्त मेडिकल स्टाफ के सम्पर्क नम्बरों की सूची जिले के समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों के पास उपलब्ध है।
9	पंचायतीराज संस्थाओं तथा रोगी कल्याण समितियों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से समानान्तर संपर्क एवं जिम्मेदारी का निर्धारण।	पंचायतीराज संस्थाओं तथा रोगी कल्याण समितियों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से समानान्तर संपर्क एवं जिम्मेदारी का निर्धारण किया जा रहा है।
10	विषैले जन्तुओं द्वारा काटने पर उपचार हेतु आवश्यक दवाइयों का आंकलन एवं भण्डारण की व्यवस्था।	विषैले जन्तुओं द्वारा काटने पर उपचार हेतु आवश्यक दवाइयों का आंकलन एवं भण्डारण की व्यवस्था है।

11	निजि चिकित्सकों व जन स्वास्थ्य रक्षक की सूची, उनके प्रशिक्षण का विवरण तथा उनके परिनियोजन (तैनानी) की योजना।	निजि चिकित्सकों व जन स्वास्थ्य रक्षक की सूची, उनके प्रशिक्षण का विवरण तथा उनके परिनियोजन (तैनानी) की कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।
12	सामुदायिक/प्राथमिक/उप स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करना।	सामुदायिक/प्राथमिक/उप स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था की जा चुकी है।
13	बाढ़ की स्थिति में स्वास्थ्य एवं साफाई के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता जैसे-ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टेबलेट, लाइम पाउडर इत्यादि की पर्याप्त भंडारण एवं उपलब्धता।	बाढ़ की स्थिति में स्वास्थ्य एवं सफाई के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता जैसे-ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टेबलेट, लाइम पाउडर इत्यादि की पर्याप्त भंडारण एवं उपलब्धता है।
14	बाढ़ की स्थिति में महामारी रोकने के लिए पर्याप्त उपायों की व्यवस्था तथा जनसमुदाय के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने की योजना।	बाढ़ की स्थिति में महामारी रोकने के लिए पर्याप्त उपायों की व्यवस्था तथा जनसमुदाय के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने की कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।
15	बाढ़ के दौरान कार्य करने वाले विभागीय मानव संसाधन एवं उपकरणों की सूची का जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रदाय।	बाढ़ के दौरान कार्य करने वाले विभागीय मानव संसाधन एवं उपकरणों की सूची का जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार प्रदान की जावेगी।
16	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फैलने वाली बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण की व्यवस्था।	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फैलने वाली बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध है।
17	बाढ़ प्रभावित गांवों में अन्य चिकित्सा जरूरतों का निर्धारण।	बाढ़ प्रभावित गांवों में अन्य चिकित्सा जरूरतों का निर्धारण किया जा चुका है।
18	फैलने वाली बीमारियों से बचने हेतु जन सामान्य को आवश्यक निर्देशों का प्रचार-प्रसार।	फैलने वाली बीमारियों से बचने हेतु जन सामान्य को आवश्यक निर्देशों का प्रचार-प्रसार किया जावेगा।
19	फैलने वाली बीमारियां, रोके जा सकने वाली बीमारियां एवं इपेडेमिक्स को रोकन हेतु पूर्व मं प्रभावी उपाय।	कम्युनिकेबल एवं नॉन कम्युनिकेबल एवं फैलने वाली बीमारियां, रोके जा सकने वाली बीमारियां एवं इपेडेमिक्स को रोकन हेतु पूर्व प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं।
20	सरकारी एवं निजि क्षेत्रों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं की पहचान इन सुविधाओं का सुदृढीकरण तथा इनके उपयोग की कार्ययोजना।	शासकीय एवं निजि क्षेत्रों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं की पहचान इन सुविधाओं का सुदृढीकरण तथा इनके उपयोग की कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।
21	आपदा की स्थिति में जिला स्थित सभी सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बैड तथा अन्य व्यवस्थाओं को तत्काल चालू करने हेतु आवश्यक साधनों की पहचान एवं कार्ययोजना।	बाढ़ आपदा की स्थिति में जिला स्थित सभी सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बैड तथा अन्य व्यवस्थाओं को तत्काल चालू करने हेतु आवश्यक साधनों की पहचान एवं कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।
22	जल शुद्धिकरण हेतु ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी एवं क्लोरीन टेबलेट की व्यवस्था।	जिले में जल शुद्धिकरण हेतु ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी एवं क्लोरीन टेबलेट की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है।

23	स्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य एवं जल आपूर्ति के निरीक्षण की व्यवस्था।	स्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य एवं जल आपूर्ति के निरीक्षण की व्यवस्था की जावेगी।
24	स्वास्थ्य सामग्रियों के वितरण की व्यवस्था।	स्वास्थ्य सामग्रियों के वितरण की व्यवस्था की जावेगी।
25	बाढ़ आपदा के दौरान मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु अन्य विभागों/एनजीओ आदि से समन्वय की व्यवस्था।	बाढ़ आपदा के दौरान मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु अन्य विभागों/एनजीओ आदि से समन्वय की व्यवस्था की जावेगी।
26	एम्बुलेंस उपयोग की योजना। इसके अंतर्गत निजि अस्पतालों, रेडक्रास, 108 एवं जिले तथा आसपास के जिलों में उपलब्ध एम्बुलेंस के नियोजन एवं उपयोग भी शामिल हैं।	एम्बुलेंस उपयोग की योजना, इसके तहत निजि अस्पतालों, रेडक्रास, 108 एवं जिले तथा आसपास के जिलों में उपलब्ध एम्बुलेंस के नियोजन एवं उपयोग भी शामिल किया जावेगा।
27	घायल व बीमार व्यक्तियों के उपचार हेतु निजि अस्पताओं, आसपास के जिलों के सरकारी तथा निजि अस्पतालों से समन्वय व प्रबंधन।	घायल व बीमार व्यक्तियों के उपचार हेतु निजि अस्पताओं, आसपास के जिलों के सरकारी तथा निजि अस्पतालों से समन्वय व प्रबंधन की व्यवस्था की जावेगी।
28	विभाग से संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।	विभाग से संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों में पूर्ण सहयोग एवं तत्पर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध की जावेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

[Signature] होशंगाबाद

पृ.क्रमांक/राहत/बाढ़ आपदा/2019/
प्रतिलिपि :-

5341

/होशंगाबाद, दिनांक

26/6/19

1. आयुक्त राजस्व नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

[Signature] होशंगाबाद